रांची में, मंगलवार, दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

1.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को जुलाई, 2020 से नबम्बर, 2020 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि रु0 141.56 करोड़ (एक अरब एकतालीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	*1.*	**स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से अनाच्छादित सुपात्र 15 (पन्द्रह) लाख लाभुकों को राज्य सरकार के मापदण्ड पर “झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme)" के तहत् अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने के संबंध में।	*2.*	**इस शर्त्त के साथ स्वीकृत कि यह लाभ दिनांक 15 नवम्बर, 2020 से दिया जाय तथा योजना कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

3. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (State Disaster Management Authority) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (District Disaster Management Authority) के सुदृढ़ीकरण हेतु ODMP (Other Disaster Management Project) के तहत् कार्यरत पदाधिकारियों के सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।

3. **इस शर्त्त के साथ स्वीकृत कि आवश्यकता अनुरूप इसका अवधि विस्तार करने हेतु SDMA को मंत्रिपरिषद् द्वारा प्राधिकृत किया गया।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4. केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत (पी०एम०एस०एस०वाई०, फेज–2) राज्य के दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में स्थापित किए गए नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के नामांकरण एवं पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद का नाम परिवर्तित कर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद रखने पर स्वीकृति के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

5. झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 (अधिसूचना संख्या–एस०ओ० 21, दिनांक 03.09.2012 द्वारा अधिसूचित) के कतिपय नियमों में संशोधन हेतु झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर (संशोधन) नियमावली, 2020 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

6. झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली, 2020 के गठन के संबंध में। *6.* **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

7. मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में CFP (क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट) परियोजना संचालित करने के संबंध में। *7.* **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

8. झारखण्ड अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2020 को लागू करने हेतु स्वीकृति के संबंध में। *8.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

9. झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली–2012 में संशोधन किए जाने के संबंध में। *9.* **स्वीकृत।**

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

10. श्री उदय कुमार सिंह, छायाकार की आश्रित पुत्री सुश्री सृष्टि सिंह के Institute of Liver & Biliary Science बसंत कुंज, दिल्ली में इलाज कराने, इलाज पर हुए व्यय की स्वीकृति/प्रतिपूर्ति एवं इलाज हेतु एयर एम्बुलेन्स से दिल्ली भेजे जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *10.* **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

11. 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखण्ड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में। *11.* **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

12. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का झारखण्ड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में। *12.* **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

13. 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में। *13.* **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

14. वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे भाग–I, II एवं विनियोग लेखे को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में। *14.* **स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

15. दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य संरचना का विकास कर उनके लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने निमित केन्द्रीय योजनागत योजना "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (SIPDA)" की स्वीकृति एवं इसके क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रु0 30,00,00,000/– (तीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति। *15.* **स्वीकृत।**

विधि विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2020–2021 में माँग संख्या–28 के अंतर्गत ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत् झारखण्ड राज्य में सभी 24 (चौबीस) न्यायमंडलों एवं 04 (चार) अनुमंडलीय न्यायालयों में भारत संचार निगम लिमिटेड का इन्टरनेट लीज लाईन (बैंडविथ कनेक्टिवीटी) लगाये जाने हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रु0 3,00,00,000/– (तीन करोड़) मात्र अग्रिम की स्वीकृति। *16.* **स्थगित। प्रशासी विभाग उक्त राशि की व्यवस्था अनुपूरक के माध्यम से करे।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

17. Jharkhand Land Mutation Bill, 2020 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। *17.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

18. The Jharkhand Mineral Bearing Land (Covid-19 Pandemic) Cess Rules, 2020 प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। *18.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. मुख्यमंत्री श्रमिक योजना [Mukhyamantri SHRAMIK (SHahri RozgAr Manjurl for Kamgar) Yojna] 2020 की स्वीकृति के संबंध में। *19.* **स्वीकृत।**

(कार्योंपरांत स्वीकृति)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

20. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य में वनोपज के अभिवहन का विनियमित करने हेतु अधिसूचित झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन के संबंध में। *20.* **स्वीकृत।**

विधि विभाग

21. रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के गठित न्यायालय को झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा–132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने हेतु शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में। *21.* **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य)

22. पंचम झारखण्ड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र दिनांक 18.09.2020 से 22.09.2020 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *22.* **स्वीकृत।**

(कार्योंपरांत स्वीकृति)

खान एवं भूतत्व विभाग

23. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में। *23.* **स्वीकृत।**

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

24. झारखण्ड राज्य में स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रोत्साहन निर्देशिका के संबंध में। *24.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

25. लोक निर्माण के कार्यों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सन्निहित पद्धति की एकरूपता हेतु प्रावधानों में संशोधन के संबंध में। *25.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

26. झारखण्ड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के कतिपय धाराओं में संशोधन एवं कतिपय नये प्रावधान को जोड़े जाने के संबंध में। *26.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

27. Jharkhand Mineral Bearing Land (Covid-19 Pandemic) Cess Bill, 2020 लाने के संबंध में। *27.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

28. आपराधिक वाद में अभियुक्त के अनुपस्थित/फरार रहने की स्थिति में भी वाद के विचारण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–299 में संशोधन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 की स्वीकृति के संबंध में। *28.* **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

29. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 के संबंध में। *29.* **स्वीकृत।**

:: अन्यान्य ::

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

30. "राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा आज दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरी संवेदना एवं दुःख प्रकट किया गया तथा इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया गया। मंत्रिपरिषद् ने स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा देश के विकास हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें स्वप्नद्रष्टा, अद्वितीय प्रेरक, प्रकाण्ड विद्वान, शिक्षाविद्, गंभीर चिंतक एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित महान देशभक्त बताया तथा ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके परिजनों को दुःखद घड़ी में इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गयी।"

ह0/-
(सुखदेव सिंह)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड